

[Shri Shinde]

their right of abstention. They are present here and they should also be counted.

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): Quorum was not questioned.

Mr. Deputy-Speaker: There is quorum. So, the motion is lost.

The motion was negatived.

17.21 hours

HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 14) by Shri D. N. Tiwary.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956, be taken into consideration".

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव बहुत साधारण सा है और इसमें बहुत अधिक बहस करने की कोई बात भी नहीं है। सन् 1956 में गलती से या ग्रीवरसाइट से एक विधेयक पास हुआ जो कानून के रूप में आया कि महिलाओं को पति के मर जाने के बाद उसकी जायदाद में पूरा हक होगा। इसमें कोई उर्ज किसी को नहीं है अगर उनको पूरा हक मिले, लेकिन उसमें कुछ गुत्थियाँ आ गईं। किन्हीं सज्जन ने दो विवाह किये और दोनों पत्नियों से उनके सन्तानें हुईं। जब वह पुरुष मर गया तो उनकी विधवा पत्नी को ऐंमोल्चूट राइट हुआ प्रापर्टी में। मान लीजिये उसने अपने स्टेप सन को हक से वंचित करने के लिये जायदाद को बेचकर अपने लड़के को दे देती है और स्टेप सन को उसके हक से महकूम कर देती है। ऐसी स्थिति में स्टेप सन के पास कोई चारा नहीं रह जाता। कानून में स्थिति यह है कि यदि विधवा बिना लिखा पढ़ी किये हुए, बिना जायदाद को बेचे हुए, मर जाती

है तो दोनों लड़कों का बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर अपनी जिन्दगी में ही वह ऐसा करे कि स्टेप सन को उसकी जायदाद से महकूम करने के लिये, उसको वंचित करने के लिये, अपनी जायदाद को गलत तरीके से बेच कर के या फर्जी ट्रांसफर करके अपने लड़के दे देती है और स्टेप सन को वंचित कर देती है, तो तादात्म्य बात है कि उसको रोकने का अधिवार स्टेप सन को नहीं है। इस तरह से बोगस ट्रैन्जेक्शन को रोकने के लिये, फाउल्ट सेल को रोकने के लिये, यह बिल लाया गया है।

इसमें यह बात नहीं है कि यदि विधवा के जीवन में उसको कोई जरूरत पड़ जाये तो उसको जायदाद बेचने का हक नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं विधवा के हक को महदूद कर रहा हूँ, उसको सर्कम्स्क्राइब करना या बांधना चाहता हूँ। अपनी जिन्दगी में, अपने खाने पीने के लिये, अपनी जरूरत के लिये वह अपनी जायदाद को जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकती है। केवल एक ही शर्त में लगाना चाहता हूँ कि वह बिना जरूरत के न बेचे या इसलिये न बेचे कि उसके स्टेप सन को उसके हुकूम न मिल सकें। ऐसा नहीं कि उसकी जिन्दगी में सारी जायदाद बिक जाय या वह अपने लड़के को दे दे या इस तरह से ट्रांसफर करे या बिक्री करे जा कि गलत हो और अन्त में उसके अपने लड़के की ही वह मिल जाये। सिर्फ इस चीज को रोकने के लिये यह बिल लाया गया है। जहाँ तक विधवा के जीवन काल का सम्बन्ध है, उसमें हमें कोई उर्ज नहीं है कि उसको ऐंमोल्चूट राइट है और वह जिस तरह से चाहे उस जायदाद का उपयोग करे, अपने लाभ के लिये, अपनी शारीरिक रक्षा के लिये, तीर्थ यात्रा के लिये, पूजा वृत्ति के लिये। इतनी ही रोक उस पर लगा दी जाये कि उसके स्टेप सन का जो हुकूम होते हैं विधवा के मरने के बाद उसका हक छीना

न जाये। ऐसी बिक्री न हो कि उसके अपने लड़के को जायदाद मिल जाये और स्टेप सन को न मिले।

सिर्फ इतनी ही बात है। कोई अधिक बहस करने की बात नहीं है। यदि बाद विवाद में कोई बात निकलेगी तो अपने राइट ग्राफ रिःलाई में मैं उसका जवाब दूंगा।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Hindu Succession Act, 1956, be taken into consideration".

One hour is the time allotted—5 minutes to each Member.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I can speak with the utmost impartiality about this Bill like my hon. friend, Shri D. N. Tiwary, the Mover. Both of us are widowers of long standing, and we are not going to leave any widows behind us. The question of cruelty of widows does not arise in our case. Therefore, we can bring to bear upon this Bill a very impartial, dispassionate and objective outlook.

My feeling is that the Hindu Succession Act was passed with a view to bringing about what I may call social justice among Hindus. The Hindu law is a kind of patchwork. It has many by-ways, high-ways, by-lanes and alleys. What we did was that we tried to bring about some kind of uniformity in the Hindu succession law.

Sometimes our laws are very defective. We are all imperfect. That is why we bring in amendments. The hon. Law Minister knows it very well that everyday he brings forward amendments to some previous Act.

Shri Tiwary has done a very good thing by saying that that there should be equality of opportunity, equality of justice, equality of gain between the step-son and the son of a widow who is alive. Unfortunately, the his-

tory of step-sons in this country is a very unfortunate one. I think the worst that can happen to any Hindu child is to be the step-son of any father or mother. These step-sons have always had a very poor treatment at the hands of those fathers who have married a second time and even those mothers whose co-wives died before they were married.

So this Bill seeks to eliminate that kind of social disparity between the son of a widow who is alive and the son of a widow who is dead.

I think our Constitution says that we should have equality in everything, and I think from that point of view also, there should be no harm in accepting it.

The second point is this, that in no case the rights of widows are going to be taken away from them. They can dispose their property when they like. As my hon. friend has said, for going on a pilgrimage, for getting themselves treated when they are ill, for getting themselves even educated if they want to be educated, they can dispose of their property, but this Bill prevents them from having any kind of bogus transaction which will deprive their step son of his legal right to his share of the property. Wherever the need is legitimate, wherever the cause is just, the widow can dispose of her property, but if she does so only to deprive a step son of that, I think this law will be helpful.

In India as you know, and in every country of the world, the widowers have a very bad habit of marrying again, and some of them marry at a very advanced age also. We should penalise the widower from marrying again. No widower should have the right to marry again, but human nature as it is cannot be forced into doing this kind of thing. Therefore, widowers marry. They have some children by their first wife, some children by the second wife. I have seen some unfortunate persons who have four wives one after another, a series

[Shri D. C. Sharma]

of four wives, and children by all those wives. I call them children first series, children second series, children third series, and children fourth series. How can you bring about some kind of equality between the children of different mothers by the same father? This Bill provides for that.

As I told you, Shri D. N. Tiwary is himself a person who has not been guilty of anything of this kind, and he has brought forward this Bill with very unselfish motives. He is doing so in order that all the children of Mother India may have equal status, equal say in the property left by their father. That is what he wants, and I think, as we live in a socialistic pattern of society, as we are always talking of equality, as we are always talking of elimination of disparities, as we are always talking of reducing the gap between one section of the society and the other, between one person and another person, there should be no objection to this Bill.

I know that the gentlemen who belong to the Ministers come to develop a closed mind, and even if you bring forward a Bill which has very good intentions, which are very desirable objectives, they will ask the Mover to withdraw the Bill. I want Mr. Tiwary to follow the example of Thakur Yash Pal Singh. Thakur Yash Pal Singh did not withdraw his Bill even though he was defeated. In the same way, I would ask him not to withdraw this Bill even though he may be defeated. It is because his Bill is laudable, desirable and fruitful social objective. With these words, I commend the Bill.

Shri K. K. Verma (Sultanpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the principle of this Bill may be laudable but the phraseology is very defective. At the outset, I submit that the absolute right that was given to widows in the Hindu Succession Act of 1956 has not been properly used in this country. We all know that 70 per cent or more of the

ladies of this country are illiterate and the absolute right that is conferred on such ignorant and illiterate ladies is misused. There are interested persons who carry them to wrong paths and they are deprived of the property that they inherit from the male. So, I would suggest that in order to ensure that they enjoy an absolute right that has been given to them properly, Government should seriously think of bringing a comprehensive Bill.

This Bill is found to be defective in drafting. The statement of objects and reasons says that by this Bill the widow may not be able to deprive her step son or step daughter of their share by effecting a transfer. So far, so good. But if we examine the phraseology of this Bill it prohibits all gifts.

"Provided that except the transfers made *bona fide* and for consideration, all other transfers made by a Hindu widow after the commencement of the Hindu Succession Act, 1956, with a view to prejudice the claims of her step-sons or step-daughters shall be void."

Any transfer which is not for consideration would be prohibited in this Bill if passed. Supposing a widow who has no step son or step daughter wants to make a gift, she cannot do so. The aims and objectives of this Bill are limited. But the Bill as it covers a very wide field.

The Hindu Succession Act was passed in 1956 and certain transfers must have been made in the ordinary course. These transferees have got a vested interest in the property transferred to them. It is unjust now to pass a Bill making these transfers void. You cannot do this. It may also be that the original transferees may be dead.

There may be their transferees or there may be successors or heirs who would also be divested of that property. So, I think that it is a very

sweeping Bill as it declares all the transfers that have taken place up to this time to be void. It would surely, as I said, cause great injustice to the transfers that have already been made i.e. to the transferees, their successors and other representatives. So, if the Government accepts the principle that underlies this Bill, I would request the Government to bring forward another Bill which merely prohibits transfers in order to defeat the rights of the step-sons and step-daughters.

Shri D. C. Sharma made a point that certain persons have married many wives, but he need not have any apprehension on that point because, now a person cannot marry another wife in the lifetime of the wife whom he has first married. So, there is no question now of marriages in the lifetime of the existing wife. Therefore, that apprehension is baseless.

With these remarks, I would suggest to my hon. friend Shri Tiwary to withdraw the Bill.

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। इस बिल के प्रावधानों में कहा गया है कि अगर किसी हिन्दू विधवा के दो पुत्र हैं, एक डिमीड को- वाइफ का और दूसरा उमका अपना, तो वह अपने पुत्र की फेवर में अपने शेर को गिफ्ट या बॉगस सेल कर देती है, जिससे उस के स्टैप-सन के साथ वह बड़ी ज्यादाती और अन्याय होता है कि वह अपनी पैतृक सम्पत्ति के एक बड़े भाग से वंचित कर दिया जाता है, जो कि उस को प्राप्त होगी। इस बिल में हिन्दू सक्सेशन एक्ट, 1956 के सैक्शन 14(1) के साथ यह प्रोवाइडो जोड़ने के लिए कहा गया है :

"Provided that except the transfers made bonafide and for consideration, all other transfers made by a Hindu widow after the com-

mencement of the Hindi Succession Act, 1956, with a view to pre-justice the claims of her step-sons or step-daughters shall be void."

1956 से पहले हिन्दू विधवाओं को सम्पत्ति में कोई राइट नहीं था। उस समय यह देखा जाता था कि उस को लीगल नेसेसिटी है या नहीं, जिस के परिणामस्वरूप काफी मुकदमे चलते थे। इस में जो ये शब्द हैं, "प्रैजुडिस दि क्लेमज ऑफ स्टैप-सन्स और स्टैप-डाटरज", इन से कई उलझने पैदा होंगी और मुकदमे बाजी में बढ़ि होगी। आखिर "प्रैजुडिस दि क्लेमज" का अर्थ क्या है? 1956 के कानून के अनुसार महिलाओं को वही अधिकार दे दिये गये हैं, जो कि पुरुषों को प्राप्त हैं। एक प्रजातंत्र और सैकुलर स्टेट में महिला और पुरुष के राइट्स में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। यदि हमारा यही उद्देश्य है, तो जब पुरुष किसी को भी अपनी सम्पत्ति ट्रांसफर कर सकता है, तो फिर केवल महिला पर इस बारे में कोई प्रतिबन्ध लगाना अनर्चित है।

इस बिल में हिन्दू सक्सेशन एक्ट का जो उद्धरण दिया गया है, उस से यह स्पष्ट है कि हिन्दू फॉर्मेट जो कोई भी प्रापर्टी एक्वायर करेगी, वह उस की फुल ऑनर होगी, लिमिटेड ऑनर नहीं। जब महिला को सम्पत्ति की फुल ऑनर शिप, पूर्ण स्वामित्व दे दिया गया है, तो उस को उस सम्पत्ति को ट्रांसफर आदि करने का अधिकार क्यों न हो—वह अधिकार उसको अवश्य मिलना चाहिए।

बिल के पूर महोदय, ने इस बिल में ये शब्द रखे हैं : "प्रोवाइडिड दैट एक्सेप्ट दि ट्रांसफरज मेड बोनाफाइडी एंड फार कनसिडरेशन" इसका अर्थ यह है कि कोई महिला "बोनाफाइडी" और "फारकनसिडरेशन" ट्रांसफर के प्रतिरिक्त और कोई ट्रांसफर नहीं कर सकती है। चूंकि हिन्दू सक्सेशन एक्ट में मारलाओं

[श्री बड़े]

को सम्पत्ति पर एक्सोल्सूट राइट दे दिया गया है, इस लिए यह प्राविजन उस के विरोध में जाता है। उस एक्ट के संश्लेषण 14 में कहा गया है कि स्त्रीधन भी प्रापर्टी में इन्क्लूड होगा। अगर स्त्रीधन किसी महिला की प्रापर्टी में इन्क्लूड हो जाता है और वह उस को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, तो यह बहुत बड़ा अग्रन्थाय होगा।

माननीय सदस्य ने इस बिल का विद रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट लागू करने के लिए कहा है। ऐसा करने से पिछले ट्रांसफ़र पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस लिए मैं इस का विरोध करता हूँ।

देश ने यह मान लिया है कि स्त्री और पुरुष को सम्पत्ति के सम्बन्ध में समान अधिकार प्राप्त हैं। जब स्त्री को सम्पत्ति पर एक्सोल्सूट राइट प्राप्त है, तो उस को उस के ट्रांसफ़र का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इस लिए इस प्रकार का कानून बनाना ठीक नहीं है।

प्रापर्टी दो प्रकार की है : लैंड की प्रापर्टी और हाउस की प्रापर्टी। हर एक स्टेट ने इन दोनों प्रकार की प्रापर्टी के सम्बन्ध में अलग अलग कानून बनाये हुए हैं। इस कानून के पास करने से कई प्रकार की पेचीदगियाँ पैदा हो जायेंगी।

इस बिल को पास करना स्त्रियों के प्रति घोर अग्रन्थाय होगा। इस से लिटिगेशन भी बढ़ेगा और इस कारण लोगों को कोर्ट्स में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस बिल के हिन्दू संश्लेषण एक्ट एक्ट के प्रिसिपल्स का विरोधी होने के कारण मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री डी० एन० तिवारी, ने हिन्दू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करने

के लिए जो विधेयक उपस्थित किया है, वह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है, 1956 में जो हिन्दू उत्तराधिकार कानून पास किया गया, उसमें इस मिद्दान्त को स्वीकार किया गया कि सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में पुरुष और स्त्री में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और दोनों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अगर हम इस संशोधन को मान लेते हैं, तो उम मिद्दान्त पर बहुत भारी आघात पड़ता है। अगर किसी पुरुष के चार बेटे हैं, तो भी उनको पूरा अधिकार है—जहाँ तक कि उसको सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है—कि वह अपनी सम्पत्ति को किसी को भी दे सकता है, बेच सकता है, बिल कर सकता है और उसके उस अधिकार में उसके बेटे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मिताक्षरा कानून में बेटों को भी अधिकार होना है, लेकिन बाप को जहाँ तक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार को बरतने में वह उम सम्पत्ति को किसी को भी बेच सकता है, बिल करके दे सकता है, मुफ्त दे सकता है और दान में दे सकता है। जब पुरुष को सम्पत्ति पर इनका एक्सोल्सूट अधिकार प्राप्त है, तो एक महिला को उसके पति के मरने के बाद जो अधिकार मिल जाता है, अगर उम पर यह रोक लगा दी जाये कि वह अपनी सम्पत्ति को कनमिडरेशन के लिए ही दे सकती है या बोनाफ़ाइडी तरीके से ही दे सकती है और वह उसको अपने बेटे को नहीं दे सकती है, तो यह उचित नहीं होगा। जिस तरह पुरुष को यह अधिकार है कि वह किसी को भी अपनी सम्पत्ति दे सकता है, उसी तरह महिला को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी सम्पत्ति को जिस तरह से चाहे बांट सकती है, दे सकती है, बेच सकती है, सब कुछ कर सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बात तों जो तिवारी जी ने सदन के सामने रखी वह कुछ ऐसी बात है कि एक लड़का है जो पहली स्त्री से पैदा हुआ और एक लड़का है जो दूसरी स्त्री से पैदा हुआ और उसकी माँ

जीवित है तो मां स्वाभाविक है कि अपने बेटे को ही सम्पत्ति दे । लेकिन वह जिस पुरुष की वह पत्नी है और वह पुरुष देखता है कि मेरे मरने के बाद यह सम्पत्ति तीन भाग में बंट जाएगी, एक भाग मेरी पहली ब्याहता स्त्री के लड़के को मिलेगा और दो भाग उसको मिल जायेंगे तो पुरुष को ही इस बात का ख्याल करना चाहिए अपनी जिन्दगी में कि वह स्वयं अपने मरने के पहले अपनी जायदाद के बारे में बिल कर जाये कि जिससे कि दोनों बेटों के अन्दर किसी प्रकार का भेद न हो । यह पुरुष का काम है । पुरुष को करना चाहिए । लेकिन अगर पुरुष नहीं करेंगे तो उनके मरने के बाद उसकी पत्नी को जो अधिकार हुआ उस पर किसी प्रकार की रोकथाम लगाना मैं समझता हूँ कि जिस सिद्धांत पर यह उत्तराधिकार कानून बना है उसके खिलाफ होगा । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री शिवनारायण (वामी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी की सराहना करता हूँ । उनकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ और उनकी नेक नीयती की सराहना करता हूँ । उन्होंने बड़ा न्यायोपूर्ण और उचित अमेंडमेंट पेश किया है इस हाउस के अन्दर । मैं आपकी इजाजत से उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ । इसमें स्टेटमेंट आफ प्रबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स में बहुत साफ दिया हुआ है । पुरुष के मर जाने के बाद विडो के नाम जायदाद प्राप्ती है और सातेले बेटे के साथ जो व्यवहार होता है उसका मान्यवर, मेरी जिहवा में इतनी शक्ति नहीं है कि उसका प्रश्न किया जाय । प्रायः दिन समाज में जितने कुकर्म हो सकते हैं वह किसी विधवा से बाकी नहीं है । विधवायें जिनके नाम जायदाद हो जाती हैं सातेले बेटे के साथ जो अन्याय, जो अधर्म और अन्याय करती हैं, आपकी इजाजत में कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोग यहां पर ऊपर भी बैठे हैं, आफिसर्स भी हैं, शाउम भी बड़ा हुआ है और रूढ़ि लोग बैठे हुए हैं, अपने कलेजे पर, टिन

पर हाथ रखकर सोचें कि जितनी बात मैं कह रहा हूँ उसमें कहां अन्तर है ? आज एक बेटा है, मां उसकी मर गई और जबान औरत को ब्याह करके उसका बेटा लाता है तो वही नयी बीबी उसको दिखाई देती है और बेटा नहीं दिखाई देता है कि मेरे मरने के बाद वही बेटा ही मुझको फूकेगा, वहीं पार लगायेगा । वह तो मोह माया में मस्ती में मस्त रहता है और उसकी परवाह नहीं करता है । पंडित जी ने बिल्कुल ब्राह्मणांचित काम किया है जो न्याय की बात को सदन के अन्दर उपस्थित किया है । मैं तहेदिल से उनकी सराहना करता हूँ और समझता हूँ कि बहुत पवित्र काम उन्होंने किया है । किसी भी विधवा को जायदाद दी जाय, मैं उसका विरोध नहीं हूँ लेकिन जम्मू और काश्मीर को अपने क्यों बरी कर दिया है ? जम्मू और काश्मीर में भी यह लागू होना चाहिए । यह भारतीय संस्कृति भारत के इस सिरे से उस सिरे तक एक होनी चाहिए । कन्या कुमारी से लेकर काश्मीर की चंटी तक भारत एक है । उसमें कोई अन्तर नहीं है । मैं आपसे कहूंगा कि तिवारी जी के विचार की हम भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं और इसलिए करते हैं कि इसमें न्याय दिखता है, जहांगीरी ईसाफ दिखता है कि मेरे मरने के बाद... (व्यवधान)... मेरी नयी बीबी हो और एक बड़ा बेटा पहले का हो जो वह बेचारा जो होगा, उसका उस नयी बीबी के नये बेटे के साथ कोई संतुलन नहीं होगा । वह बिल्कुल भिन्नारी की तरह रहता है, न जाड़े में रजाई मिलती है, न ठीक खाना मिलता है, न उसकी फीम जाती है, न किताबें मिलनी हैं । वह फल होता है । अवारा होता है । मैं इन बापों से दरुवागत करना हूँ जो दो बीबिया रखते हैं कि वह उस बात को सोचें यह बड़ा अभिशाप है । इस भारत के अन्दर इस भारत माना के कलेजे पर एक कलंक है । एक ही बीबी रखें ताकि अपने बानी माना उनको कोसे न । इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी की सराहना करता हूँ और हर पुरुष से कहता हूँ कि एक ही बीबी

[श्री शिवनारायण]

रखें, दो बीबी न रखें। इसलिए इस प्रमेंडमेंट की मैं सराहना करता हूँ।

श्री बाल्मीकि (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंडित डी० एम० तिवारी जी के इस संशोधनात्मक विधेयक का और उसके अन्दर प्रस्तुत अर्थात् का समर्थन करता हूँ। 1956 में हिन्दू उत्तराधिकार के विधेयक के अनुसार विधवा को जायदाद के अन्दर चाहे वह चल धी या अचल धी, एक पूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। उसे इन्कार नहीं किया जा सकता। आज भी यदि हम सोचें तो विधवाओं के साथ सामाजिक दृष्टि से अन्याय होता है और उनको वह सामाजिक न्याय जो प्राप्त होना चाहिए किसी हद तक प्राप्त हुआ है, लेकिन पूर्णतया प्राप्त नहीं हुआ है। 1835 में सती प्रथा चलती थी। उस वक़्त भी राजा राम मोहन राय जी जैसे उद्यान्त समाज सेवी ने उनकी समस्या की ओर ध्यान आकृषित किया था। उस समय से बराबर जो समाज सेवी हैं उनका ध्यान इस ओर जाना रहा है और अब भी एक विचार ऐसा है कि जो विधवा है, वह चाहे व्याहता है या दूसरी दृष्टि में जिसे हम करीं हुई कहते हैं या दूसरी दृष्टि में जो रखी जाती है उसे भी अधिकार कानून की दृष्टि से होना चाहिए। इस विधेयक का जो उद्देश्य है वह परम निरीह और स्वार्थरहित है। जैसा कि स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्ट्स एंड रीजन्स में बयान किया है :

"The object of the Bill is not to cause any hardship to the widow because she will continue to have full power to make bona fide transfer for consideration but to prevent her from making gifts or mala fide sales in favour of her own son after ignoring the step-son."

इस की भावना का मैं समर्थन करता हूँ। बच्चे दो देवियों से हो सकते हैं और अधिक देवियों में भी। हमारे देश में पत्नी रूप देवी की प्रथा है। ऐसी भावना होनी चाहिए, एक ही देवता होना चाहिए, चाहे विष्णु हों या शिव हों, एक ही

नारी होनी चाहिए चाहे वह कानी हों या गोरी हो कौसी भी हो। लेकिन उस भावना को माना नहीं जाता है। मनुष्य वासनामयी प्रवृत्ति के कारण एक पर वह हाथ रखता है और दूसरी ओर भी जाता है। तो यह तो मनुष्य की प्रवृत्तियाँ हैं। उसकी निन्दा की जाती है। लेकिन निन्दात्मक दृष्टि से हम कुछ और सोच सकते हैं। हम आज भी देखें तो समाज के अन्दर जो माता रहित बच्चे हैं, विमाता के बच्चे हैं, स्टेप मदर के बच्चे हैं उन के साथ घोर अन्याय होता है। यह प्रश्न कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। एक विशेष स्थिति का है कि जिस स्थिति में किसी मनुष्य के चाहे दो पत्नियाँ हैं, और एक पत्नी में एक बच्चा है और दूसरी पत्नी से एक बच्चा है। यदि उनके पिता के देहान्त के बाद कोई भी जायदादी प्रश्न खड़ा होता है तो जो उचित बात यह कही गई है कि उनमें विमाता की जो मन्तति है, लड़का या लड़की है उस का भी अधिकार होना चाहिए यह कोई गलत नहीं कहा है, तिवारी जी ने सही कहा है। कानून बनते हैं, बनते रहते हैं, उनमें संशोधन भी चलते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन बहुत में मंजूर जो एक मध्निष्क में जड़ने चले जाते हैं उन भागों को दृष्टि में रखकर यह सोचा जायगा कि केवल वही न्यायसंगत है, मैं उसे न्यायसंगत नहीं मानता हूँ। इस लिए मैं यह जरूर चाहता हूँ कि विमाता की जो मन्तति है, उसका स्थान जायदाद में अवश्य होना चाहिए, इस ओर सदन ध्यान दे। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, कानून की दृष्टि में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में वह विचार करे। यदि वह यह समझते हैं कि यह विधेयक और यह संशोधन इस समस्या पर काफी प्रकाश नहीं डालता है तो उनको कोई कौम्प्रीहेन्सिव संशोधनात्मक बिल इस सदन में लाना चाहिये, जिसमें कि नारी स्थिति सामने आ सके। मैं इस बात को मानने वाला हूँ कि विधवा के साथ, अन्याय नहीं होना चाहिये। और जैसा कि पुरूषों का अधिकार है, उसी तरह से नारियों को भी सम्पत्ति के बारे में

अधिकार होना चाहिए। लेकिन पुरुष यदि नहीं रहता है और विधवा रहती है, तो विधवा का यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह सम्पत्ति का किसी का दान दे सके या बेच सके, उबर रोक लगनी चाहिए तथा विमाता की जो संतति है उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए।

18 hrs.

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा मंत्री जी का ध्यान प ओर आकर्षित करता हूँ कि विमाता की संतति के साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Pattabhi Raman.

Shri Raghunath Singh rose—

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): Sir,....

Mr. Deputy-Speaker: He can reply afterwards. We will take up the half-an-hour discussion.

Shri D. N. Tiwary: But one hour was allotted for this Bill and that is not over.

Mr. Deputy-Speaker: This will be continued afterwards, after the half-an-hour discussion finishes. At 6 o'clock we have to take up the half-an-hour discussion.

18.03 hrs.

RE: M.P. FLATS *

Shri Hem Barua (Gauhati): Sir, I rise to raise a half-an-hour discussion regarding M.P. flats.

There are two sets of MP flats. One set is managed by the two Houses of Parliament and the other is under the direct responsibility of the works and Housing Ministry. May I draw the

attention of the hon. Minister to the fact that housing has become a great problem in the capital? There is an acute shortage of housing facilities in the capital and, at the same time, the rents of privately owned houses are so high that it is impossible for lowly paid Government officials to hire them. These are beyond the means of the lowly paid Government servants. That is why a policy or principle is to be evolved that can do justice to all concerned, particularly to those people who are at the lower rungs of Government employment.

18.04 hrs.

[**SHRI SHAM LAL SARAF** in the Chair]

May I say that the present Minister has evolved many a principle in order to rationalise the system, but unfortunately in the process of this rationalisation favouritism has come in? Even in his attempt to fix the criterion for the date of priority for eligibility for Government servants, he has altered the existing rules as many as six times. But then somehow or other the situation has not at all improved.

He made another change in relation to out-of-turn allotments. In June, 1962 out-of-turn allotments on grounds other than medical were abolished. But in reply to a question he has said that out-of-turn allotments were made to some 20 persons, might be on medical grounds.

Then, in June 1964 even this principle of allotment on medical grounds was also abolished. Significantly, orders abolishing out-of-turn allotments on medical grounds were given retrospective effect and the claims of persons—and the number of these persons is very limited—whose cases were recommended by the medical committees of the Willingdon and Safdarjung hospitals and to whom allotments of accommodation were sanctioned by the allotment committee that consisted of officers of the Ministry, were surreptitiously overlooked or bypassed.

*Half-an-hour discussion.